

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का निष्पाक है और कौन कानून का निर्माता"-वेडेल फिलिप

भारतीय बस्ती

बस्ती 13 जुलाई 2024 शनिवार

सम्पादकीय

भरण पोषण का अधिकार

देश की शीर्ष अदालत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिलाएं भी सीपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार हैं। न्यायमूर्ति वीवी नारगल्ला और न्यायमूर्ति ऑंगस्टेन जॉर्ज मसीह ने इस सिद्धांत की व्याख्या की कि भरण-पोषण किसी तरह का दान नहीं बल्कि सभी विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। अब चाहे महिला किसी भी धर्म की क्यों न हो। दरअसल, अदालत का फैसला तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद की अपील के जवाब में आया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का फैसला दिया था, जिसे शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा। अब्दुल समद ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि एक तलाक़शुदा महिला केवल मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत ही भरण-पोषण की मांग कर सकती है। शीर्ष अदालत ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि धारा 125 देश की सभी महिलाओं पर लागू एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि यह फैसला ऐतिहासिक शाह बानो प्रकरण की याद ताजा करता है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने धारा 125 के तहत एक तलाक़शुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह फैसला 1986 के उस अधिनियम के बावजूद था, जिसमें इस अधिकांश को सीमित करने के प्रावधान किये गये थे। बहरहाल, अदालत का हालिया फैसला धारा 125 की स्थायी स्वीकार्यता को सिद्ध करता है। यह भारतीय न्यायतंत्र की खूबसूरती ही है कि अधिनियम के विकास और उसके बाद के न्यायिक उदाहरणों ने तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों का उत्तरांतर विस्तार ही किया है। निस्संदेह, शीर्ष अदालत का फैसला महिलाओं को उनके न्यायिक अधिकार दिलाने तथा संरक्षण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

बहरहाल, अदालत ने इस फैसले के जरिये यह संदेश देना का प्रयास किया है कि जब 21वीं सदी में सर्वांगीण विकास व सभ्यता के समृद्ध होने का दावा करते हैं तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी हमारी सोच प्रगतिशील होनी चाहिए। उनमें प्रति संकीर्ण मानसिकता को चलते ही महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाया है। अदालत का नवीनतम निर्णय विकास क्रम के अनुरूप यह सुनिश्चित करता है कि देश में किसी भी धर्म की महिला अपने अधिकारों से वंचित न रहे। साथ ही यह भी कि विवाह विच्छेद के बाद भी महिला को भरण-पोषण के लिये आर्थिक सहायता पाने का अधिकार है। निस्संदेह, अदालत ने भारत में लैंगिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह फैसला न केवल संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखता है बल्कि मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुसुखा को भी मजबूत करता है। साथ ही यह फैसला भविष्य के मामलों के लिये भी एक मिसाल स्थापित करता है। इस फैसले ने मानवीय पक्ष यह भी है कि यदि तलाक़शुदा महिला का आय का कोई नियमित जरिया नहीं है तो भरण-पोषण के लिये आर्थिक मदद न मिल पाने से उसके जीवन-यापन का संकेत बढ़ा हो जाता है। विडंबना यह है कि भारत में मायके पक्ष के सक्षम होने के बावजूद तलाक़शुदा बेटी को साथ रखने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जिससे तलाक़शुदा बेटियाँ को जीवन-यापन दुष्कर हो जाता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में यह फैसला एक नई रोशनी बनकर आया है। निस्संदेह, फैसला स्वागतयोग्य है और इसके दूरगामी गहरे निहितार्थ भी हैं। पिछली राजग सरकार के दौरान बने तीन तलाक़ कानून ने भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया था। यह फैसला देश की सोच में आए बदलाव का भी प्रतीक है। करीब चार दशक पहले शाह बानो केस में कोर्ट के ऐसे ही प्रगतिशील फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था। जिसके बाद देश में ध्व्वीकरण की राजनीति को बल मिला था। निस्संदेह, चार दशक बाद अब भारतीय समाज में लैंगिक समानता को लेकर सोच में व्यापक बदलाव आया है।

बजट पर टिकी मध्यम वर्ग की निगाहें



-डा. जयंतीलाल भंडारी-

इन दिनों पूरे देश के साथ-साथ दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निगाहें 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट की ओर लगी हैं। हाल ही में आग्यी वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी मार्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के नए बजट में राजस्व व्यय के मुकामले फूलीगत खर्च पर जोर रहेगा और इससे मध्यम वर्ग लाभान्वित होते हुए दिखाई दे सकता है। साथ ही इसमें 2047 तक विकसित भारत के लिए खाका और राजकोपीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना वृषा की जा सकती है। नए बजट के जरिये मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़कर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ा जा सकता है।

मध्यम वर्ग को राहत देने को लेकर लगातार मांग तेज हुई है। विगत वर्षों में जहां गरीब वर्ग के लिए राहतों का ऐलान किया गया, वहीं कॉर्पोरेट जगत पर भी ध्यान दिया। लेकिन राहत पाने के मामले में सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्य वर्ग पीछे छूट गया। 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान में मध्य वर्ग की नाराजगी भी दिखाई दी है। पिछले दिनों प्रगतिशील के संकेतों में जिक्र था कि मध्यम वर्ग के कुल बचत बढ़ा सके तथा इस वर्ग के लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में रणनीति पूर्वक आगे बढ़ा जाए। गौरतलब है कि इस पूर्ण बजट 2024-25 के समय आयकर संबंधी मजबूत परिदृश्य मजबूत है। पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2023-24 में आयकर रिटर्न रिक्तों 8 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और वीते 10 लाख में आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी अंकलेख के मुताबिक, वर्ष 2013-14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये था। यह

फिर तेजी से बढ़ता गया। यह वर्ष 2019-20 में 10.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। कोरोनाकाल के कारण यह 2020-21 में कुछ घटा। लेकिन 2021-22 में 14.08 करोड़ रुपये, 2022-23 में 16.64 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में 19.58 करोड़ रुपये हो गए हैं। एसी मजबूत वित्तीय मुठ्ठी से आयकर के नए और पुराने दोनों स्लैब की व्याख्याओं के तहत करदाताओं व मध्यम वर्ग को राहतों से लाभान्वित किया जा सकता है। खासकर से वित्तमोर्गी वर्ग को लाभान्वित करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। पिछले दिनों मध्यम वर्ग को आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2023-24 में आयकर रिटर्न रिक्तों 8 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और वीते 10 लाख में आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी अंकलेख के मुताबिक, वर्ष 2013-14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये था। यह

तहत 2.5 लाख से तीन लाख की छूट दी जा सकती है। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। 80डी के तहत हेल्थ इश्योरस प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ सकती है ताकि टैक्सवेयर हेल्थ इश्योरस को लेकर प्रेरित हो। इसके साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीमा बढ़ाई जाने से लोगों को स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वहीं पीपीएफ में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है। निस्संदेह देश में कर सुधारों से आयकर संग्रह में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन अभी आयकर के दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावना है। जहां वर्ष 2024-25 के बजट से आयकर राहत दी जा सकती है, वहीं बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नई योजनाएं कार्यान्वयन में करार रहते हुए कमाई करने वाले, मर्गी व विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले तथा पर्यटन के लिए विशेष यात्राएं करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देते का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में करीब 2 लाख लोगों ने 10 लाख रुपये से ज्यादा मर्गी कर खरीदी, करीब 25 लाख लोगों ने 50 लाख रुपये से अधिक कीमत के महंगे घर खरीदे वहीं वर्ष 2022 में देश के करीब 2.16 करोड़ लोगों ने पर्यटन के मद्देनजर

निराश्रय है, जिसे वित्तमोर्गी करता अपनी कर योग्य आय से बचना कोई सबूत दिए घटा सकता है। टीडीएस के कारण वित्तमोर्गी अपने वेतन पर ईमानदारी से आयकर चुकाते हैं जहां आमदनी कम बताने की गुंजाइश नाग्य होती है। वित्तमोर्गी वर्ग द्वारा नए बजट में राहत की अपेक्षा इसलिए भी व्यापक है कि इस वर्ग द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशवर्ग और कारोबारी करदाता वर्ग द्वारा चुकाए गए आयकर से काफी अधिक होता है। नए बजट के तहत आयकर से संबंधित विभिन्न टैक्स छूटों में वृद्धि की जा सकती है। मौजूदा समय में धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसके तहत इंजीएफ, पीपीएफ, एनएसई, जीवन बीमा, बचत की ट्यूशन फीस और होम लोन का मौल्यम भुगतान भी शामिल है। मकानों की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए धारा 80सी के

विवेश यात्राएँ की। जाहिर है पर्याप्त कमाई के कारण ही ये खरीदियाँ और विदेश यात्राएँ संभव हैं। लेकिन ऊंची कमाई करके भी बड़ी संख्या में लोग आयकर नहीं देना चाहते। बता दें कि वर्ष 2023-24 में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों में से सिर्फ 2.79 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है। ऐसे में आयकर का पूरा बोझ दो फीसदी से भी कम आबादी द्वारा उठाना या रहा है। साथ ही देश में कुल आयकर रिटर्न के करीब 70 फीसदी आयकर रिटर्न शुद्ध आयकर देना बताते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में देश में आयकर संग्रहण सकल पर्यट उपाय (जीडीपी) के आकार की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है। जबकि यह वर्तनी में 80 फीसदी, जापान में 34 फीसदी, ब्रिटेन में 25 फीसदी, अमेरिका में 25 फीसदी और चीन में 18 फीसदी है। वही अमेरिका की 60 फीसदी और ब्रिटेन की 55 फीसदी आबादी आयकर चुकाती है। दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संघीयता के तहत आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है। समीच कर कि इस बार वित्तमोर्गी वर्ग बजट से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की नई रणनीति के साथ दिखाई देंगे, जिसे वार्षिक आय आमदनी का सही मूल्यांकन हो सके, लोगों के वित्तीय लेखांकन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही जो वास्तविक कमाई से कम घर आयकर देते हैं, उन्हें भी विशिष्ट कर के अभावित आयकर चुकाते के लिए कड़ा दिशा जा सके। निश्चित रूप से इससे देश में टैक्स संग्रहण बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

बढ़ते सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन...?



-रोहित माहेश्वरी-

जल्मी ही वो रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं, जिन्होंने सड़क हादसों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगे।

तेज गति और नशा करके वाहन चलाने, गलत तरीके से अडॉरटैकिंग करने, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने और सड़क पर गड्डों के कारण सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं। यथायात नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसकी एक वजह भ्रष्टाचार भी है। नागरिकों में भी जागरूकता की कमी है। खासकर युवा अस्थायित रूप से वाहन चलाते हैं। सड़क बनाने में भ्रष्टाचार होने और लापरवाही के कारण सड़क जल्दी टूट जाती है। सड़क पर बने गड्डे हादसे की वजह बनते हैं।

देश में ये आ रहा है कि यथायात पुलिस लाइसेंस को लेकर सख्त नहीं है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रदान होना चाहिए। लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को थोड़ा सख्त बनाना चाहिए ताकि अपाय लोग लाइसेंस न बन पाए। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित की जाना चाहिए ताकि सभी नियमों और संकेतकों की जानकारी वाहन चालक को हो।

भारत में कई ड्राइवर यथायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे वे खुद और दूसरों को जोखिम में डालते हैं। साथ ही लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाते की आवश्यकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ कठोर सजा भी आवश्यक है।

भारत के अज्ञात तंके के युद्धों में जितने सड़क हादसे नहीं हुए, उससे ज्यादा लोग सड़कों पर दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसलिए थिंकिंग को बढ़ाएं और सड़क सुरक्षा पर कड़ा ध्यान दें। सड़क सुरक्षा पर कड़ा ध्यान देना ही सड़क हादसों को कम करने में मदद करेगा। सड़क सुरक्षा पर कड़ा ध्यान देना ही सड़क हादसों को कम करने में मदद करेगा। सड़क सुरक्षा पर कड़ा ध्यान देना ही सड़क हादसों को कम करने में मदद करेगा।



जल्मी ही वो रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं, जिन्होंने सड़क हादसों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगे।

तेज गति और नशा करके वाहन चलाने, गलत तरीके से अडॉरटैकिंग करने, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने और सड़क पर गड्डों के कारण सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं। यथायात नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसकी एक वजह भ्रष्टाचार भी है। नागरिकों में भी जागरूकता की कमी है। खासकर युवा अस्थायित रूप से वाहन चलाते हैं। सड़क बनाने में भ्रष्टाचार होने और लापरवाही के कारण सड़क जल्दी टूट जाती है। सड़क पर बने गड्डे हादसे की वजह बनते हैं।

देश में ये आ रहा है कि यथायात पुलिस लाइसेंस को लेकर सख्त नहीं है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रदान होना चाहिए। लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को थोड़ा सख्त बनाना चाहिए ताकि अपाय लोग लाइसेंस न बन पाए। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित की जाना चाहिए ताकि सभी नियमों और संकेतकों की जानकारी वाहन चालक को हो।

भारत में कई ड्राइवर यथायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे वे खुद और दूसरों को जोखिम में डालते हैं। साथ ही लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाते की आवश्यकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ कठोर सजा भी आवश्यक है।

भारत के अज्ञात तंके के युद्धों में जितने सड़क हादसे नहीं हुए, उससे ज्यादा लोग सड़कों पर दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसलिए थिंकिंग को बढ़ाएं और सड़क सुरक्षा पर कड़ा ध्यान दें। सड़क सुरक्षा पर कड़ा ध्यान देना ही सड़क हादसों को कम करने में मदद करेगा। सड़क सुरक्षा पर कड़ा ध्यान देना ही सड़क हादसों को कम करने में मदद करेगा।

पीडीए बनाम डीपीए की राजनीति



-कमलेश पाण्डेय-

उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के तहत के पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक समीकरण यानी पीपीए की अप्रत्यक्ष सफलता की याद उसकी अस्मरदायक का भी भारतीय जनता पार्टी ने दृढ़ ली है और जबकी दलित-पिछड़ा-अंगड़ा समीकरण यानी डीपीए का स्वर बुलंद कर दिया है। समाज जा रहा है कि देश को युद्ध वीरणीय पीएम देने वाले यूपी से युद्ध वीरणीय बनाम डीपीए की गंभीर राय से होते हुए गैर हिंदी भाषी राज्य तो पबूच जाएगी और सिवासत पर अपनी गहरी छाप छोड़ेगी।

राजनीतिक विरलेषक बताते हैं कि एक तरफ सामाजिक न्याय आंदोलन (मंडल आंदोलन) से निकली समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीएम के सहारे जहाँ अपने पुराने वोट बैंक को फिर से सहेजते हुए हासिल कर ली है, वहीं, दूसरी तरफ रावदाय और हिंदुत्व (कमंडल आंदोलन) से मजबूत हुई भाजपा अपनी उदार राजनीतिक की वजह से हालिया अटक खाने के बाद फिर से संभलने के लिए अपने पुराने वोट बैंक को सहेजने के प्रयास डीपीए के मार्फत तेज कर चुकी है।

वर्षों के कि अकेल एक अंगड़ों व दलितों की सीमित उपेक्षा करके ओबीसी को बढ़ावा देने वाली और परमांडा अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक वोट वाली भाजपा को जब आम चुनाव 2024 में यूपी समेत कई राज्यों में रणनीतिक अटकाल तो उसका ओबीसी वाला सुरण काल्प हो गया और अब तक का सारा सिपायी मुकुर चनाबूरा हो गया। क्योंकि उत्तरप्रदेश जैसे अल्पसंख्यक वोट की ही उसकी स्थिति विकासवादी समझी जाती है, जहाँकि यहाँ पर उसकी एक मजबूत सरकार है, जिसका नेतृत्व फायर ब्राड हिन्दू नेतृत्व व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बावजूद इसके, कड़वा सच है नहीं किया।

महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया जेट



संवाददाता-गोण्डा। खेत जाते समय जेट ने महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है।

छपिया थाना क्षेत्र के रिसई रानीपुर गांव में बजरंगी प्रजापति की पत्नी आशा (45) शुक्रवार की सुबह घर से खेत के लिए जा रही थी। वह घर से 100 मीटर दूर सड़क पर

जांच पड़ताल की। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने घटना का निरीक्षण कर शीघ्र खुलासे व आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया। इस घटना से क्षेत्र में भय व्याप्त है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका के शाकापचनाना कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) मनोनाथ कुमार रावत ने बताया कि मृतका के पति की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

आशा की हत्या करने वाले आरोपी ने वर्ष 1992 में भी गांव की ही बस्ती की पत्नी की हत्या कर दी थी। वह बार साल पहले वर्ष 2020 में जेठ से फुटकर बाहर आया था। वह इन दिनों गांव में ही रह रहा था। हत्यारोपी राम अंबातार उर्फ खुबुखुड़ की शादी नहीं हुई थी। वर्तमान में उनकी उम्र करीब 65 साल है। अब एक बार फिर महिला की हत्या करने वाले को, इसकी लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

सड़क हादसों में दो युवकों की मौत, एक गंभीर

संवाददाता-श्रावस्ती। दो अलग अलग हादसों में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दो को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया गया। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सिरिया थाना क्षेत्र के जोगा गांव निवासी शाहिद (23) पुत्र चांदे व अली हुसैन (35) पुत्र मोहम्मद शुक्रवार सुबह बाइक से मिनाता खण्डिया लेते आ रहे थे। मिनाता जंगल से वन निगम सड़क के पास पहुंचते ही बोलेंगे से टकरा गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पिला अस्पताल निगम में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने अली हुसैन को मृत घोषित कर दिया। वहीं शाहिद गंभीर हालत में जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया गया। दूसरी सड़क दुर्घटना इदोना थाना क्षेत्र में हुई। कन्या थाना क्षेत्र के ग्राम कजंडा

रुपईडीहा भारतीय इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के तीन अधिकारी बर्खास्त

संवाददाता-बहराइच। लैंड पोर्ट ऑफिशर डी ऑफ इंडिया के तीन उच्चाधिकारियों को पर से ही बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई आईसीपी की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी के बयारन में सेना की महिला के सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो के आधार पर की है। विना जांच उच्चाधिकारियों को पर से हटाने की कार्रवाई से हड़कण मच गया है।

भारत-नेपाल सीमा पर दोनों देशों के बीच सामरिक, व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने व पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार की पहल पर रुपईडीहा बॉर्डर पर आईसीपी युनिट इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का संभालन शुरू किया गया है। भारतीय सैनिकों के आईसीपी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार की ओर से दिल्ली की संसदीय कंपनी को सौंपा गया है। आईसीपी के संभालन को अभी बार बार हड़ है, इस बीच कर्मचारियों की तैनाती को लेकर कंपनी विवादों की शर में है। पहले कर्मियों की ओर से शक के आरोप लगाए गए अब सैनिकों को आरोप लगाए गए हैं। विना जांच उच्चाधिकारियों को पर से हटाने की कार्रवाई से हड़कण मच गया है।

पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ ईडी ने दर्ज



संवाददाता-बलरामपुर। बलरामपुर जिले के सादुल्लाहनगर के पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने पूर्व विधायक पर मनी लाँड्रिंग का कनेक्ट कर कर जांच शुरू कर दी है। इनके ऊपर 32 मुकदमों दर्ज हैं। जिले के टॉप टैम माफिया की सूची में इनका नाम है। प्रशासन ने अब तक इनकी करीब 120 करोड़

किया मनी लाँड्रिंग का कनेक्ट

किए जाने के मामले में बीते वर्ष तत्कालीन सीएम अरविंद सिंह ने जांच कराई जांच के बाद इनके खिलाफ कनेक्ट दर्ज किया गया। साल 2023 में लखनऊ, उत्तरांचल और सादुल्लाहनगर को मिलाकर इनकी कुल 120 करोड़ रुपए की संयंत्रित जाच की जा चुकी है। इसी वर्ष बलरामपुर जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कुशुम ने इनकी संयंत्रित जांच करने की संसृक्ति की थी। बैंक खातों में जमा धनराशि जमीन, मकान व वाहन सहित अन्य प्रॉपर्टी में इकट्ठे बेचे जाने को लेकर लिखा पत्र की गई थी। पुलिस की रिपोर्ट के बाद ईडी ने कनेक्ट कर जांच शुरू कर दी है। जिससे परिवार और उनमें के संपर्कों में हड़कण मच गया है।

बलरामपुर पुलिस के अधिकारी सिर्फ इतने बात की पुष्टि कर रहे हैं यहां से रिपोर्ट भेजी गई है।

मेरा तो बेटा भी गया और इज्जत भी, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता-पिता का छलका दर्द



कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत पर कीर्ति चक्र प्रदान किया। यह शांतिका में बीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा फुरस्कार है। कीर्ति चक्र प्राप्त करने के बाद शहीद कैप्टन की पत्नी स्मृति ने अपनी लव स्टोरी को सुनाई थी। वह उस समय काफी भावुक भी दिखी थी। लेकिन अब शाहिद के पिता का बूढ़े पर लगाए गए आरोप आपके रोंडों खंडा कर देने। एक तरफ बेटा बला गया पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ दूट पड़ा। अब बूढ़े माँ की परिचार का साथ छोड़कर चली गई। शहीद के पिता का कहे है कि उन्हें इस बात की मान्य तक नहीं लगी कि मेरी बूढ़े मेरी परिचार का साथ छोड़कर क्यों चली गई। पिता ने बताया कि 18 तारीख को हमारी अंशुमान से एक दो मित्रक की बात हुई। 19 तारीख को घटना हुई और हमारा बेटा शहीद हो गया। उन्होंने समझ में दिवंगत अधिकारी की पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह को

माता-पिता का छलका दर्द, बहू ने छोड़ा परिवार

की हम लोग फोन करते हैं। फोन सिर्फ के लोग उठाते हैं। सिर्फ एक ही जवाब मिलता है अभी बेटा की जमाने के लिए थोड़ा समय दीजिए। करीब 1 साल हो गए झुंझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि वह अब तक संभाल पाए कि नहीं कैप्टन के पिता ने अपने अलावा कि मेरे पर से जाने के 10 दिन बाद वह एक स्कूल में पढ़ने लगी। जिसकी नानासिद्धि बता नहीं होनी। वह किसी स्कूल में पढ़ा कैसे संभाल है। शहीद के पिता रही प्रताप सिंह ने अपने बेटे के सूर्यदास वाली पर भी बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कहा कि वह सब कुछ उन लोगों के इशारे पर हुआ है। कहा कि उनकी बहू यहां से जाने के बाद फोन तक नहीं उठाती। उन्होंने अनाथक परिवार का साथ छोड़े दिया। बीते 26 जनवरी को जब उनके बेटे को सम्मान देने के बात हुई तो तभी उनकी बहू से बात हुई। इस दौरान हमने पर पूजा कराई उनकी भी बात बताई। लेकिन वह पूजा में भी नहीं आई। मेरी बहू

बाइकों की आमने सामने भिड़त में दो युवकों की मौत, दो अन्य गंभीर घायल

संवाददाता-गोण्डा। गोण्डा-अयोध्या राजमार्ग पर चंदपुर के पास बुधस्यतिवार की रात वारदात जाते समय बाइकों की आमने सामने भिड़त में दो युवकों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को सीएससी वजीरगंज ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

नवागंज थाना क्षेत्र के नवागंज गडरियन पुरवा निवासी फूलचंद पत्नी रेनी देवी के भतीजे अकबरपुर-मिश्रीली निवासी सूरज के साथ बुधस्यतिवार की रात बाइक से परसापुर गांव से पत्नी के मामा के बेटे की शादी में वजीरगंज बरत जा रहे थे। दोनों की बाइक गोण्डा-अयोध्या हाइवे पर चंदपुर गांव के पास सामने से आ रही बाइक से भिड़ गई। मिडल में फूलचंद (25) व सूरज (19) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दोसरी बाइक पर सवार वजीरगंज थाना क्षेत्र के चंदपुर हजारी पुरवा निवासी भगवानदास भारती (65) और इसी गांव के उनके साथी राजकुमार भारती (18) गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे की सूचना



पहुँची पुलिस ने दोनों को सीएससी पहुंचाया। जहां से दोनों को गंभीर हालत में गोण्डा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। थानाध्यक्ष वजीरगंज अमर सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी।

रिश्ददार दो युवकों की सड़क हादसे में मौत की खबर उनके घर पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। फूलचंद के बड़े भाई लालचंद ने बताया कि फूलचंद तीन भाइयों

टेमरनाला में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मौत

संवाददाता-महराजगंज। पनिया थाना क्षेत्र के ग्राम चंचावत रजौंडा खुर्द निवासी 10 वर्षीय मासूम की टेमरनाले में डूबने से मौत हो गई। बुधस्यतिवार देर शाम बालक नाले में डूब गया था। शुक्रवार सुबह नाले में शव उतराया मिला।

जानकारी के अनुसार, बुधस्यतिवार को महिएगाँव पूजा घर के लिए टेमर नाले के लुलीघाट पर नाले में डूब गया था। जिनमें मासूम की पत्नी भी डूब गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएससी पहुंचाया। जहां से दोनों को गंभीर हालत में गोण्डा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। थानाध्यक्ष वजीरगंज अमर सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी।

द्वारकाधीश भगवान का 15 वां वार्षिकोत्सव

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

पनिया थाना क्षेत्र के ग्राम चंचावत रजौंडा खुर्द निवासी 10 वर्षीय मासूम की टेमरनाले में डूबने से मौत हो गई। बुधस्यतिवार देर शाम बालक नाले में डूब गया था। शुक्रवार सुबह नाले में शव उतराया मिला।

जानकारी के अनुसार, बुधस्यतिवार को महिएगाँव पूजा घर के लिए टेमर नाले के लुलीघाट पर नाले में डूब गया था। जिनमें मासूम की पत्नी भी डूब गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएससी पहुंचाया। जहां से दोनों को गंभीर हालत में गोण्डा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। थानाध्यक्ष वजीरगंज अमर सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी।

मौदी और योगी के अनुरूप विकसित हो रही है अयोध्या -रोली सिंह



संवाददाता-अयोध्या। जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या रोली सिंह के 3 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के सर्किट हाउस में प्रेस से मुखातिब हुईं और अपने 3 वर्ष की विकास कार्यों को बताया उन्होंने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी है और इसका विकास प्रतापनंती और मुख्यमंत्री के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। उन्होंने देव तुल्य जनता जनार्दन का आभार व्यक्त कर कहा कि प्रथम दिन से उनके विकास के लिए कार्य कर रही हैं और जो भी समस्या मेरी समझ रही जाती है या मुझे मालूम पड़ती है उसका तुरंत निस्तारण करती हूँ। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष के कार्यकाल में अयोध्या जिला पंचायत को उंचावरी पर ले जाने का कार्य किया है और अभी भी प्रगतिशील हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के प्राथमिकता के कार्यों में से ग्रामीण विकास को मरम्मत, गड़बड़ा मुक्ति के अर्न्तगत एवं 2023-24 में 35.75 करोड़ किमी तथा कुल तीन वर्षों में 77.87 किमी सड़कों का नवीकरण कार्य कायम कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जनपद के अर्न्तगत एवं 2023-24 में 16.52 किमी सड़कों का नवीकरण कार्य प्रगति पर है।

